

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ.9001-2008 प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक:- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी-127021	सेवा में, Principal <u>Sardar Kewal Singh</u> <u>Memo Education Trust</u> <u>Plot No- 1898/8 KDB, Krishna</u> <u>Nagar, Rishamach (CKR)</u>
--	--

क्रमांक: 511018 / डी.एड.सम्बद्धता

दिनांक: 26/5/16

विषय:- डी.एड. सत्र 2015-16 की सम्बद्धता बारे ।

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आपके संस्थान को NCTE द्वारा दी गई अस्थाई मान्यता के आधार पर शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिये इस बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों पर निरन्तरता सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्था बोर्ड/ शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम एवं समय-समय पर परीक्षाओं से सम्बन्धित जारी दिशा-निर्देशों की दृढ़ता से पालना करेगी ।
2. बोर्ड/शिक्षा विभाग, हरियाणा की पूर्व स्वीकृति बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्ययोजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं करेगी ।
3. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा ।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे अनुचित साधन प्रयोग मामलों, इम्प्रसोनेशन व अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके ।
5. बोर्ड के निर्देशानुसार शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा ।
6. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी /नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है ।
7. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाना अनिवार्य है ।
8. स्वीकृत सीटों से अधिक व शिक्षा विभाग द्वारा संचालित काउंसिलिंग के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
9. यदि संस्था एन.सी.टी.ई. की स्वीकृति से अपने भवन को मूल स्थान से शिफ्ट करती है तो इसकी सूचना बोर्ड कार्यालय, एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा, मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा को एन.सी.टी.ई. के स्वीकृति पत्र की प्रमाणित प्रति सहित, स्वीकृति मिलने के 15 दिनों के भीतर प्रेषित करेगी ।
10. अस्थाई सम्बद्धता जारी रखने के लिये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 50000/- रुपये निरन्तरता सम्बद्धता शुल्क सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भेजा जाना आवश्यक है ।
11. संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। यद्यपि संस्था को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा ।

Eweay
सहायक सचिव(सम्बद्धता)
कृते: सचिव